कृषक (सशक्तिकरण एवम सुरक्षा) मूल्य गॉरन्टी समझौता और कृषि सेवाएं बिल - 2020

अनुबंधित कृषि बिल - 2020

भारत में अनुबंधित कृषि सम्बंधित प्रबंधन जायदातर अलिखित है और आमतौर पर बीज उत्पादन और यहाँ तक के गन्ना उत्पादन से सम्बंधित प्रबंधन को अनुबंधित खेती कहा जा सकता है इसके अलावा इस प्रकार का प्रबंधन तो कुछ विशेष वर्ग के लिए ही उपलब्ध होता है, उच्च मूल्य वर्ग के उत्पाद जैसे चिप्स हेतु उपर्युक्त आलू या जैसे निर्यात हेतु खीरा और पुष्प कृषि अर्थात फूलों की खेती.

जैसा किसानों से जुड़ी दूसरी बाजार सम्बंधित अंतराफलक के मामलों में होता है , अनुबंधित कृषि में अपना हित सिद्ध कर के अपनी जरुरत के मुताबिक विमर्श करने की दृष्टि से देखा जाये तो किसान एक कमजोर खिलाड़ी होता है. इस प्रकार के अनुबंधित प्रबंधन में निकटवर्ती आर्थिक लाभ लेने का दिवास्वप्न दिखा कर कृषक की स्थानीय जलवायु एवम पर्यावरण के लिए उपर्युक्त किस्म की फसल के उत्पादन क्षमता से समझौता करना पड़ता है और इसके साथ साथ रसायनों और जल का अत्यधिक प्रयोग करने वाली एक अत्यंत सघन कृषि मॉडल को आदर्श दर्शाते हुए बताया गया, स्वीकार किया गया. दूसरी तरफ यह भी देखा गया है के इन मामलों में प्रायोजक छोटे और सीमान्त किसानों से व्यव्हार करने हेतु अनिच्छुक हैं और जायदातर अनुबंधित कृषि माध्यम और बड़े किसानों के साथ होते हुए देखा जा रहा है. बहुत सारे शोध प्रबंधों में ये चिन्हित किया गया है के सम्बंधित व्यावसायिक संसथान अनुबंध की शर्तों प्रति वफादार नहीं होतें हैं, और इनसे पालन भी आमतौर पर नहीं कराया जा सकता है क्योंकि कोई लिखित अनुबंध नहीं होता है।

इस पृष्ठपट के विरुद्ध , जो बिल सरकार केंएंड्रिया बिल कह कर पेश करने जा रही है वह कृषक (सशक्तिकरण एवम सुरक्षा) मूल्य गॉरन्टी समझौता और कृषि सेवाएं बिल - 2020 एक मिथ्या नामी दस्तावेज है. यह बिल यह किसी लिखित अनुबंध की वकालत नहीं कर रहा है. यह बिल इस मुद्दे को शायद दबकने के लिए शब्दों में कहने की बजाय बाद में बहुत सारी बातों को स्वेच्छापूर्ण कह कर बताया जा रहे इस बिल में अनुबंधित कृषि के लिखित अनुबंध की वैधानिक की बात नहीं कर रहा है, ये सम्पूर्ण बिल लिखित के लिए है , पर इसमें यह व्यावसायिक अनुष्ठानों को बाध्य नहीं कर रहा है.

यह त्रुटि पूर्वक ऍफ़ पी ओ [FPO] की परिभासा में किसानों को भी शामिल कर रहा है, और ये कृषि में प्रयुक्त होने वाले उपादानों के उत्पादन की आपूर्ति करने को या कृषि हेतु उपादान की आपूर्ति को भी "कृषि सेवाओं" के बराबर मान रहा है. यह एक उत्पादन समझौता ला रहा है जो राष्ट्रीय और वैश्विक बहु राष्ट्रीय निगमों द्वारा नियंत्रित कृषि का मार्ग खोलता है, और यह इस प्रकार से तृतीय पक्ष अर्हताप्राप्त आमापक को और तृतीय पक्ष को प्रवर्तन की अनुमति देता है

सरकार को क्या नहीं करना चाहिए था

· क्यूंकि ये अनुबंध स्वैच्छिक होते हैं और यहां तक के लिखित अनुबंध मौजूद होने बावजूद भी ऐसे प्रावधान स्वेत्छा से छोड़ दिए जातें हैं, एवम इसको किसी वैधानिक न्याय अधिकार की बाध्यता सिविल कोर्ट (सेक्शन१९) के पास नहीं होग। अन्यथा , यह किसानों के लिए अत्यधिक अन्यायपूर्ण रहेगा और उसका पक्ष कमजोर होग।

· इसको सेवाओं को कृषि उपादानों के समकक्ष मान रहा है [सेक्शन 2(इ)]

· इसको कृषक समझौता एवम व्यापर और वाणिज्य समझौतों [(Sec 2(h) एंड 2(h)(i))]

· इसको "उत्पादन समझौता" प्रावधान शामिल नहीं करना चाहिए था करना चाहिए था, कॉर्पोरेट नियंत्रण वाली कृषि स्थापित करने का एक परोक्षी व्यवस्था प्रतीत होती है [(Sec.2 (h)(ii))]

· इसको किसान की परिभाषा [(Sec.2(f))] में शामिल नहीं करना चाहिए था, फार्मर्स प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन [ऍफ़ पी ओ] को इस प्रकार के बिल की व्यापकता से पूरी तरह बाहर कर देना चाहिए

· इन प्रबंधनों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, (The Essential Commodities Act,1955) के व अन्य उपयुक्त कानूनों के विस्तार से बाहर नहीं रखना चाहिए था

वास्तव में सरकार को चाहिए था के कृषि उत्पादों के मूल्यों निर्धारण सन्दर्भित कम से कम समर्थन मूल्य की गॉरन्टी के निश्चित भुगतान की और अनुबंध में में दर्शाये ऍम इस पी मूल्य से जायदा होना चाहिए (Sec.5)

This Note has been prepared by ASHA Kisan Swaraj to explain in a simple manner the issues with the Contract Farming Bill 2020. You can contact us at asha.kisanswaraj@gmail.com for more information.